सिविल विविध

न्यायमूर्ति टेक चंद के समक्ष

जसवंत सिंह VII 3 आर के-याचिकाकर्ता

बनाम

रजिस्ट्रार, पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य - उत्तरदाता

सिविल रिट संख्या 1481/1967

29 अगस्त, 1967

पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम (1941 का VII) - धारा 5 और 31 (2) (एम) - पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड 1, अध्याय IX, भाग (e) - विश्वविद्यालय से एक छात्र को निष्कासित करने की शक्ति - क्या नियंत्रण बोर्ड में निहित है - छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई - क्या अदालतों द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

अभिनिर्धारित किया कि, पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 और 3 1 (2) (एम) के तहत नियमों से संबंधित पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, अध्याय 2 में यह प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय निर्देश के डीन को विश्वविद्यालय से किसी छात्र को निष्कासित करने की शक्ति होगी, यदि वह संतुष्ट है कि अपराध गंभीर प्रकृति का था। यह भी प्रावधान है कि नियंत्रण बोर्ड के पास छात्रों को पाठ्यक्रम से बाहर करने और छात्रों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण करने की शक्ति भी होगी। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अधिकार क्षेत्र केवल विश्वविद्यालय निर्देश के डीन में निहित है और बोर्ड में कोई नहीं है। पाठ्यक्रम से छात्रों को बाहर करने की शक्ति भी बोर्ड में निहित है।

अभिनिर्धारित किया कि, यह कि कॉलेज या विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार इस शर्त के अधीन है कि वह समग्र और अनुशासनात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। अदालतें इस तरह के विवेकाधिकार के दुरुपयोग या कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के अभाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ऐसे संस्थानों के पास उनके द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार

छात्रों के अनुशासन को विनियमित करने की विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। छात्रों के निलंबन और निष्कासन की शक्ति या आगे उपस्थिति की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की एक विशेषता है। इस संबंध में, एक शर्त निहित है कि छात्र सरकार के कार्डिनल नियमों का पालन और अनुपालन करेगा और ऐसे कदाचार का दोषी नहीं होगा, जो संस्थान के अनुशासन के विध्वंसक हो सकते हैं या जो उसे नैतिक रूप से अयोग्य साबित करते हैं कि उसे इसके सदस्य के रूप में जारी रखा जाना चाहिए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि 29 जून, 1967 के आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हुए प्रमाणपत्र, परमादेश या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश की रिट जारी की जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से जे. एस. मावी एडवोकेट।

उत्तरदाताओं के लिए एच. आर. सोढ़ी और एन. के. सोढ़ी, ए. एडवोकेट्स।

<u>आदेश</u>

न्यायमूर्ति टेक चंद–यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक याचिका है जिसमें 29 जून, 1967 के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरी या परमादेश या किसी अन्य रिट को जारी करने की प्रार्थना की गई है (अनुलग्नक ए)। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1966 में पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में एमए कक्षा में प्रवेश लिया था, जो 1966-68 से दो साल का कोर्स था। वह एमए, भाग 1 के लिए आयोजित भूगोल में परीक्षा में उपस्थित हुए और सफल घोषित किए गए। चूंकि उन पर 17 मई, 1967 की रात को पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रावास संख्या 5 (लड़कों के लिए) में छात्रावास के नियमों के घोर उल्लंघन और गंभीर अनुशासनहीनता में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, इसलिए उन्हें सूचित किया गया कि भूगोल नियंत्रण बोर्ड ने 29 जून, 1967 को आयोजित अपनी बैठक में उन्हें शैक्षणिक वर्ष के लिए एमए भूगोल पाठ्यक्रम से बाहर करने का निर्णय लिया था। 1967-68. अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता जसवंत सिंह विर्क ने कहा कि उनके खिलाफ एक शिकायत थी, कि एक महिला और एक पुरुष अतिथि हॉस्टल वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना विश्वविद्यालय

छात्रावास संख्या 5 में उनके कमरा नंबर 2/25 में रुके थे। अगर बार-बार चूक दोहराई जाती है तो उसे हॉस्टल से निष्कासित किया जा सकता है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रावास के वार्डन ने उन्हें दंडित नहीं किया था, क्योंकि उनकी अनुमति प्राप्त करने में विफलता केवल औपचारिक थी। उनकी शिकायत यह है कि भूगोल नियंत्रण बोर्ड ने 29 जून, 1967 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त नियम के उल्लंघन के लिए उन्हें शैक्षणिक वर्ष 1967-68 के लिए एमए भूगोल पाठ्यक्रम से बाहर करने का निर्णय लिया, और इसलिए, उन्हें एमए, भाग 2 भूगोल में नियमित कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस याचिका द्वारा भूगोल नियंत्रण बोर्ड के फैसले की आलोचना की है क्योंकि उनके तर्क के अनुसार, यह अधिकार क्षेत्र के बिना और प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ था।

उनका मुख्य तर्क यह है कि किसी भी विनियमन के तहत बोर्ड के पास किसी भी बाहरी कारणों से किसी भी छात्र को बाहर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो विभाग के मामलों से संबंधित नहीं है। इसके बाद उन्होंने दलील दी कि उन्हें छात्रावास के नियमों के घोर उल्लंघन और गंभीर अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया। विकल्प के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा पाया भी जाता है तो कुलपति के पास पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के खंड एक के अध्याय नौवीं, भाग (ई) के तहत संबंधित वार्डन की सिफारिश पर उसे अगली विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से रोकने की शक्ति है और इस शक्ति का इस्तेमाल कुलपति के अलावा कोई अन्य प्राधिकारी नहीं कर सकता। उन्होंने आगे दलील दी कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 की धारा 5 और 31 (2) (एम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, एक विशेष विभाग के छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालय विभाग के नियंत्रण और अनुशासन के तहत रखा गया था, लेकिन केवल जहां तक विभाग में उनके आचरण का संबंध है। वहां, विश्वविद्यालय निर्देश के डीन के पास विश्वविद्यालय से एक छात्र को निष्कासित करने की शक्ति थी यदि वह संतुष्ट था कि अपराध "गंभीर प्रकृति" का था। यदि वह कम अपराध का दोषी था, तो अकेले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसे पाठ्यक्रम से बाहर कर सकता था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि "संबंधित विश्वविद्यालय के विभाग के अंदर और बाहर एक छात्र द्वारा गंभीर कदाचार" के मामले में बोर्ड की शक्तियों को निहित रूप से रोक दिया गया था। यह भी आग्रह किया गया था कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बोर्ड के समक्ष कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता ने

कभी भी "छात्रावास के नियमों का घोर उल्लंघन और विश्वविद्यालय छात्रावास संख्या 5 में गंभीर अनुशासनहीनता" की है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने याचिकाकर्ता को अनुशासनहीनता के आरोप को पूरा करने के लिए कोई अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

प्रतिवादी संख्या 2, भूगोल विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख और भूगोल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. गुरदेव सिंह द्वारा एक हलफनामे के रूप में पैरा बाय पैरा जवाब दायर किया गया था। दो प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गईं:

> सबसे पहले, याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय में किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश का दावा करने या ऐसे पाठ्यक्रम में जारी रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, खासकर, जब उसने गंभीर कदाचार के कारण प्रवेश के लिए खुद को अयोग्य घोषित कर दिया था। अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रश्न विश्वविद्यालय का आंतरिक मामला था और न्यायसंगत नहीं था;

दूसरे, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपनी जानकारी के भीतर भौतिक तथ्यों को दबा दिया था और केवल उसी आधार पर रिट को खारिज कर दिया गया था।

तथ्यों के आधार पर, यह कहा गया था कि भूगोल नियंत्रण बोर्ड ने 29 जून, 1967 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता के साथ दो अन्य, सुरेंद्र नाथ वासुदेव और एक छात्रा को एमए भाग 2 भूगोल पाठ्यक्रम से उनके घोर कदाचार, अनुशासनहीनता और छात्रावास के नियमों के उल्लंघन के कारण बाहर करने का निर्णय लिया था। इस आशय की सूचना याचिकाकर्ता को संबोधित पंजीकृत पत्र द्वारा और अन्य दो को 5 जुलाई, 1967 को सूचित की गई थी। निर्णय के लिए अग्रणी वास्तविक तथ्यों के बारे में, यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर सच्चे तथ्यों को दबा दिया था। विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय छात्रावास संख्या 2 में रहने वाली एक छात्रा और उसी परिसर में विश्वविद्यालय छात्रावास संख्या 3 में रहने वाले एक अन्य छात्र सुरेंद्र नाथ वासुदेव 17 और 18 मई, 1967 के बीच देर रात छात्रावास संख्या 5 में छात्रावास के एक कमरे में एक साथ एक रात बिताने के इरादे से गए थे, जिसकी चाबी उनके पास थी। याचिकाकर्ता को उनके इरादे के बारे में पता चलने

पर उनके पास गया और उन्हें अपने कमरे का उपयोग करने के लिए राजी किया, क्योंकि इससे वे परेशानी से बच सकते थे। वे सहमत हो गए। उसने उन्हें अपने कमरे में बाहर से घुमाते हुए छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह लौटा और वासुदेव को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए मजबूर किया, और उसके बाद, याचिकाकर्ता ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। यह आरोप लगाया गया था कि एक जांच की गई थी जिसमें बयान दर्ज किए गए थे और यह पाया गया था कि याचिकाकर्ता ने खुद को गलत तरीके से पेश किया था। लड़की एक वास्तविक अतिथि नहीं थी और वह और वासुदेव एक अनैतिक उद्देश्य के लिए आए थे। संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और याचिकाकर्ता के साथ-साथ वासुदेव और लड़की को कदाचार का दोषी पाए जाने पर वर्ष 1967-68 के लिए एमए भाग II पाठ्यक्रम से बाहर रखने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता को जांच की जानकारी थी और उसने लिखित में अपना स्पष्टीकरण दिया था। वास्तव में, उनके द्वारा दो स्पष्टीकरण दिए गए थे, एक वार्डन, हॉस्टल नंबर 5 को संबोधित किया गया था, लेकिन जिसे 26 मई, 1967 को छात्र कल्याण के डीन को भेज दिया गया था। इस स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा कि वासुदेव और लड़की ने उनसे मदद की अपील की थी, और वह उन्हें अपने कमरे में ले गए, जहां वे रात भर सोए और वह दूसरे कमरे में सोने चले गए। सुबह-सुबह, वह अपने कमरे में गया और वासुदेव के अनुरोध पर, उसे लड़की को उसके छात्रावास में सुरक्षित रूप से देखने के लिए कहा गया। 9 जून, 1967 को छात्रावास के मुख्य वार्डन को संबोधित अपने दूसरे वक्तव्य में, जो इसी तरह का है, उन्होंने स्वीकार किया: "मैंने छात्रावास के नियम का घोर उल्लंघन किया है"। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी थीं और वे ऐसी स्थिति में थीं कि उन्हें उन्हें सुरक्षा देनी पड़ी। इन दोनों बयानों को याचिकाकर्ता के वकील ने देखा है, जिन्होंने स्वीकार किया कि वे उनके मुवक्किल, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए थे। लेकिन उनका तर्क यह है कि स्पष्टीकरण अध्यक्ष, नियंत्रण बोर्ड को संबोधित नहीं किया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 घटना की तारीख पर नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, भूगोल विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख और मुख्य वार्डन भी थे। उनके हलफनामे में कहा गया है कि जांच की गई थी, घटना में संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए थे और बोर्ड द्वारा लड़की के साथ-साथ अन्य छात्र सुरेंद्र नाथ वासुदेव और याचिकाकर्ता को छात्रावास के नियमों के घोर उल्लंघन में शामिल होने के कारण शैक्षणिक वर्ष 1967-68 के लिए एमए भूगोल पाठ्यक्रम से बाहर करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए, प्रतिवादी की दलील में बल है कि

याचिकाकर्ता ने जानबूझकर उन भौतिक तथ्यों को छिपाया था जो उसकी जानकारी में थे। यह भी स्पष्ट है कि उन्हें एक अवसर दिया गया था जिसका उन्होंने लाभ उठाया था और ऊपर उल्लिखित दो बयान दिए थे।

मेरा ध्यान पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, अध्याय II की ओर दिलाया गया है, जो अधिनियम की धारा 5 और 31 (2) (एम) के तहत विनियमों से संबंधित है। यह प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदेश के डीन को किसी छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित करने की शक्ति होगी, यदि वह संतुष्ट है कि अपराध गंभीर प्रकृति का था। यह भी प्रावधान है कि नियंत्रण बोर्ड के पास छात्रों को पाठ्यक्रम से बाहर करने और छात्रों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण करने की शक्ति भी होगी। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अधिकार क्षेत्र केवल विश्वविद्यालय निर्देश के डीन में निहित है और बोर्ड में कोई नहीं है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि डीन के पास विश्वविद्यालय से एक छात्र को निष्कासित करने की शक्ति है। हालांकि, यह निष्कासन का मामला नहीं है। पाठ्यक्रम से छात्रों को बाहर करने की शक्ति बोर्ड * में निहित है, जिसका उपयोग इस मामले में याचिकाकर्ता को आरोप को पूरा करने और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कैलेंडर के अध्याय 9 (वी) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया जो छात्रों के आचरण और अनुशासन से संबंधित है। नियम 2 में प्रावधान है कि अपने कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रॉक्टर द्वारा रिपोर्ट किए गए किसी छात्र को गंभीर अनुशासनहीनता या किसी भी प्रॉक्टोरियल नियमों के गंभीर उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो कुलपति द्वारा अगली विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। इससे यह नहीं लगता कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल छात्रों को कोर्स से बाहर करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। कुलपति की शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी छात्र को उसके कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। याचिकाकर्ता इससे संबद्ध किसी भी कॉलेज का छात्र नहीं है। विश्वविद्यालय लेकिन भूगोल विभाग द्वारा आयोजित भूगोल में एमए कक्षाओं में भाग लेता है। अध्याय 11(14) के तहत, विश्वविद्यालय निर्देश के डीन को निवास की व्यवस्था करने और चंडीगढ़ में विभिन्न विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में पढ़ने वाले छात्रों के अनुशासन की निगरानी करने का अधिकार है। इस प्रावधान से, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अनुशासनात्मक मामलों में, एकमात्र प्राधिकारी डीन है, न कि नियंत्रण

बोर्ड।

याचिकाकर्ता के वकील विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई मामला दिखाने में सक्षम नहीं हैं, कि याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय अधिनियम या विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा बनाई गई विधियों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों आदि के तहत किसी चीज से वंचित कर दिया गया था, जिसके लिए वह हकदार था या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। किसी भी सांविधिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने रोमेश चंदर बनाम पंजाब विश्वविद्यालय[1] के कुलपति मामले में एकल पीठ के फैसले की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जो तथ्यों से अलग है। इस मामले में की गई जांच पर्याप्त थी और नियंत्रण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में थी, और याचिकाकर्ता को अवसर दिया गया था, जिसने अपने आचरण के अनुचित व्यवहार को स्वीकार किया था और कहा था कि "मैंने छात्रावास के नियम का घोर उल्लंघन किया है"। इस मामले में जांच उस निर्णय में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती है। इसी तरह के कारणों से, रमेश कपूर बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और एक अन्य मामले में इस अदालत का पूर्ण पीठ का फैसला [2]लागू नहीं होता है। यशपाल बनाम पंजाब विश्वविद्यालय[3] मामले में याचिकाकर्ता के लिए इस अदालत के जिन फैसलों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों से अलग हैं और इस मामले की परिस्थितियों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। केवल कृष्ण बंसल बनाम पंजाब विश्वविद्यालय[4] मामले में रिपोर्ट किया गया मामला अलग-अलग तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया गया मामला है। दूसरी ओर, यह रमेश चंद्र चौबे बनाम प्रिंसिपल, बिपिन बिहारी इंटरमीडिएट कॉलेज झांसी[5] में आयोजित किया गया था कि उच्च न्यायालय ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा जहां छात्र को अनुशासनहीनता के आधार पर कॉलेज में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। डिवीजन बेंच द्वारा यह माना गया था कि संविधान में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यदि कोई छात्र किसी संस्थान में पढ़ रहा है, तो उसे उस विशेष संस्थान में अपनी शिक्षा जारी रखने का अधिकार है, भले ही वह उस

[1] 1964 वर्तमान कानून जर्नल (पीबी) 373।

[2] I.LR। (1964) 2 पुंज। 955- 1964 वर्तमान कानून जर्नल (पीबी) 560।

[3] 1965 वर्तमान कानून जर्नल (पीबी) 191.

[4] 1967 वर्तमान कानून जर्नल (पीबी) 271।

[5] ए.आई.आर. 1953 सभी। 90.

संस्थान के अधिकारियों को स्वीकार्य न हो। उस मामले में प्रिंसिपल की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 29 (2) से प्रभावित नहीं थी और उच्च न्यायालय एक शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा की गई कार्रवाई के साथ अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेरा ध्यान मुकंद माधव सिंह बनाम आगरा विश्वविद्यालय और एक अन्य मामले में एकल पीठ के निर्णय की ओर भी दिलाया[6] गया था, जहां यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय शैक्षिक और स्वायत्त निकाय हैं और उनके कार्यकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं, ताकि बाहर से कम से कम हस्तक्षेप हो सके; और उच्च न्यायालय प्रशासनिक और अनुशासनात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा। जब तक यह नहीं सोचा गया कि कानून के किसी भी प्रावधान से स्पष्ट विचलन हुआ है। आगे यह देखा गया कि जब तक आदेश किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करता है, तब तक हर मामले में प्राधिकरण के आदेश से प्रभावित व्यक्ति को अपने आचरण की व्याख्या करने का अवसर देना आवश्यक नहीं था, विशेष रूप से उन मामलों में जहां किसी संस्थान के अनुशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से एक प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया था। याचिकाकर्ता के लिए जिस अनुच्छेद 29 (2) पर भरोसा किया गया है, उसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है। यह प्रदान करता है:

> "किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने से इनकार नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता जिसे एमए भूगोल पाठ्यक्रम से बाहर रखा गया था, उसे छात्रावास के नियमों के घोर उल्लंघन का दोषी पाया गया था और वह अनुशासन के उल्लंघन के आरोप के खिलाफ अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकता है।

कॉलेज या विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार इस शर्त के अधीन है कि वह समग्र और अनुशासनात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। अदालतें इस तरह के विवेक ाधिकार के दुरुपयोग या कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के अभाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ऐसे संस्थानों

[6] ए.आई.आर. 1961 301.

के पास उनके द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार छात्रों के अनुशासन को विनियमित करने की विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। छात्रों के निलंबन और निष्कासन की शक्ति या आगे उपस्थिति की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की एक विशेषता है। इस संबंध में, एक शर्त निहित है, कि छात्र सरकार के कार्डिनल नियमों का पालन और अनुपालन करेगा और ऐसे कदाचार का दोषी नहीं होगा, जो संस्थान के अनुशासन के विध्वंसक हो सकते हैं या जो उसे नैतिक रूप से अयोग्य साबित करते हैं कि उसे इसके सदस्य के रूप में जारी रखा जाना चाहिए।

जो कुछ कहा गया है, उसके मद्देनजर याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए, इसे खारिज किया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

के.एस.के.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा